

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक - 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0-1012/14 264/म/पटना, दिनांक - 31/10/2017

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व/लखीसराय।

विषय:- वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 22 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृत योजना अंतर्गत पटना जिला के लखीपुर एवं लखीसराय जिला के परसामा नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रांश मद से रु0 35.00 लाख (पैंतीस लाख रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 22 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक- 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0- 1012/14 - 79 दिनांक- 08.01.15 के द्वारा कुल रु0 4549.282 लाख (पैंतालीस करोड़ उनचास लाख अठाईस हजार दो सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है, जिसमें रु0 2274.641 लाख (बाईस करोड़ चौहत्तर लाख चौंसठ हजार एक सौ रुपये मात्र) केन्द्रांश की राशि सम्मिलित है।

2. इस स्वीकृत योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को लखीपुर नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय को परसामा नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु रु0 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र), यानि कुल रु0 35.00 लाख (पैंतीस लाख रुपये मात्र) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फण्ड से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही राशि को कार्यपालक अभियंता जमा शीर्ष- 8782 में जमा कर उसका उपयोग स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर करेंगे।
4. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किररी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
5. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)

अभियंता प्रमुख -सह -विशेष सचिव

ज्ञापांक- 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0 -1012/14 264(मो)पटना, दिनांक- 31/10/2017

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र, पटना / भागलपुर एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, पटना/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि - सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रोग्राम फण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व एवं लखीसराय को उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3. प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता (मो0) को दो प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियंता (मो0)- 1 / कार्यपालक अभियंता (मो0)- 2 / सहायक अभियंता (मो0)/प्रभारी, डाटा सेन्टर/प्रशाखा पदाधिकारी- 6/ रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाह सहायक प्रशाखा - 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रतिलिपि - आप्त सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रतिलिपि - आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2

APS
30/10/2017
(दिनेश्वर प्र0 सिंह)

अभियंता प्रमुख -सह -विशेष सचिव

A 32